

From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

..... संवरीकंवव.....

बनाम गजेन्द्रसिंह.....

किस्म मुकदमा :- २१/२११७/२०१७

नंबर ३५ वर्ष २०१७

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
8-6-23	<p>पत्रावली प्रशासन शांति के संग महंगाई राहत विवर-२०२३ केम्प कोर्ट सिनोडिया में पेश हुई वकील पार्टी व पेशेकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार प्रक जो शामिल मिसल हो वकील पार्टी व पेशेकार सरकार की बहस सुनी गयी वकील पार्टी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पार्टी गण की कलजे काशत एवं सहजातेदारी की भूमि है, जिसमें पार्टी गण का एक हिस्सा अधिकार निहित है इस प्रकार प्रथम दुष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अप्रणीय क्षति के बिन्दु पार्टी गण के पक्ष में सिद्ध होते हैं अतः पार्टी गण के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जावे पेशेकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में किसी प्रकार का राज निहित उभावित नहीं होता है हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। उभयपक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दुष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अप्रणीय क्षति पार्टी गण के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अतः पार्टी गण का पार्टी गण-प्र अन्तर्गत धारा-२१२ राजस्थान</p>	



काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य होने
के कारण स्वीकार किया जाकर प्राथमिक कृषि
में जारी अध्यादेश निषेधाज्ञा को मूल वाद के
विस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

मिर्च आज दिनांक 8-6-23 को मेरे
द्वारा लिखवाया जाकर मजमे आम (कैम्प-कोर्ट)
में सुनाया गया।



~~8-6-23~~
08.6.23

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (अजमेर)